आईटी व वेलनेस सिटी का दायरा 666 एकड़ बढ़ेगा

अहम फैसला

कमिश्नर रोशन जैकब की अध्यक्षता में बुधवार को हुई एलडीए की बोर्ड बैठक में अहम निर्णय लिए गए।

लखनऊ, प्रसं। एलडीए बोर्ड बैठक में बुधवार को शहर की बेहतरी के लिए कई प्रस्तावों पर मुहर लग गई। आईटी और वेलनेस सिटी का दायरा 666 एकड़ बढ़ाने, 20 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने, एक हजार वर्गफुट के भवनों में सोलर सिस्टम लगाना अनिवार्य किए जाने जैसे प्रस्तावों पर सहमति जताई गई। बुधवार को कमिश्नर डा. रोशन जैकब की अध्यक्षता में एलडीए मुख्यालय में हुई बोर्ड की बैठक में शहर के विकास से जुड़े कई अहम प्रस्ताव मंजूर हुए।

एलडीए की सुल्तानपुर रोड पर प्रस्तावित आईटी सिटी व वेलनेस सिटी योजना की जमीन बढ़ेगी। आईटी सिटी के लिए मोहारी खुर्द, मोहारी कला तथा सिद्धपुरा की 539.8195 एकड़ जमीन और ली जाएगी। इसी तरह वेलनेस सिटी के लिए मस्तेमऊ की 127 एकड़ जमीन ली जाएगी। इससे दोनों योजनाओं की कुल 666 एकड़ जमीन बढ़ जाएगी।

अकेले आईटी सिटी योजना की जमीन बढ़कर 2236 एकड़ हो जाएगी। एलडीए किसानों से आपसी सहमति व लैण्ड पूलिंग के माध्यम से जमीन खरीदेगा। बोर्ड ने इसकी भी मंजूरी दे दी है।

25 से 50 लाख के फ्लैटों पर एलडीए देगा एक लाख छूट

22 सौ विस्थापितों को बिना किस्त के पैसा चुकाने का लाभ

- आईटी सिटी योजना की जमीन बढ़कर 2236 एकड़ हो जाएगी
- वेलनेस सिटी के लिए मस्तेमऊ की 127 एकड़ जमीन ली जाएगी

सीबीआई जांच से अलग भूखण्डों की रजिस्ट्री होगी

जानकीपुरम विस्तार योजना के भूखंडों में फर्जीवाड़ा हुआ। 413 भूखंडों के दस्तावेज नहीं मिले। सीबीआई ने 177 भूखंडों की जांच की। इसमें 139 के आवंटियों ने सीबीआई को दस्तावेज दिए थे। इनकी कोई आर्थिक क्षति नहीं हुई। 114 में 1.57 करोड़ की क्षति हुई। अब 177 के इतर भूखडों का फ्री होल्ड, लीज नवीनीकरण, नामांतरण किया जाएगा। 16% चक्रवृद्धि के साथ पैसे जमा होंगे।

सिटी लॉजिस्टिक प्लान को मंजूरी, संवरेंगे चौराहे

एलडीए बोर्ड ने शहर के सिटी लॉजिस्टिक प्लान को मंजूरी दे दी है। इसे अर्बन मास ट्रांजिट कम्पनी ने तैयार किया है। उसने आठ जनवरी 2024 को इसे तैयार कराया था। अब इसके लिए एलडीए शहर में काम शुरू कराएगा। पहले चरण में इसके तहत कुल 18 चौराहों का सुन्दरीकरण कराया जा रहा है।

विस्थापितों को किस्त पर नहीं देना होगा ब्याज

एलडीए ने अकबर नगर, भीखमपुर तथा बटलर पैलेसे के विस्थापितों को बसंतकुंज में प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान आवंटित किए गए हैं। मकान 4.79 लाख रुपये में आवंटित किया गया। बोर्ड ने मकानों को 10 वर्ष की किस्तों पर देने का फैसला लिया। लोग अब बिना ब्याज के 10 वर्ष की किस्तों में पैसा चुका सकेंगे। इससे करीब 2200 लोगों को फायदा होगा।

एक हजार वर्गफुट के मकान में सोलर सिस्टम अनिवार्य

60 % भूखंड क्षेत्रफल बढ़ा तो एक साल ब्याज से राहत

- शपथ पत्र के बगैर मकान का नक्शा पास नहीं होगा
- सिस्टम लगाने के बाद जमानत राशि वापस होगी

लखनऊ। राजधानी में 1000 वर्गफुट व इससे बड़े मकानों में अब सोलर सिस्टम लगवाना जरूरी होगा। बिना इसे लगाने का शपथ पत्र दिए मकान का नक्शा पास नहीं हो सकेगा। नक्शा पास कराते समय सोलर सिस्टम लगवाने के लिए जमानत राशि भी जमा करनी होगी। सोलर सिस्टम लगाने के बाद जमानत राशि वापस हो जाएगी। न लगाने पर जब्त होगी। साथ ही अवैध निर्माण की धाराओ में भवन स्वामी के खिलाफ कार्रवाई भी होगी।

भूखण्ड का क्षेत्रफल 10 प्रतिशत तक बढ़ने पर एक माह ब्याज से छूट

एलडीए बोर्ड ने आवंटन के नियमों भी बदलाव किया है। अब अगर किसी भूखण्ड का क्षेत्रफल 10 प्रतिशत तक बढ़ता है तो उसे आवंटन की दर पर बढ़ी कीमत देनी होगी। 10 प्रतिशत से अधिक जमीन बढ़ने पर वर्तमान कीमत देनी होगी।

10 प्रतिशत तक बढ़ने पर एक माह, 10 से 30 प्रतिशत बढ़ने पर तीन माह, 30 से 60 प्रतिशत बढ़ने पर छह माह तथा 60 प्रतिशत बढ़ने पर 12 माह में बिना ब्याज के पैसा जमा करने की सुविधा मिलेगी।

इन 20 स्थानों पर बनाए जाएंगे नए चार्जिंग स्टेशन

एलडीए शहर के 20 अन्य स्थानों पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाएगा। बोर्ड ने इसकी मंजूरी दे दी है। इसे शहीद स्मारक पार्क, रूमी पार्क, पतंग पार्क, गौतम बुद्ध पार्क, सरोजनी नायडू, बेगम हजरतमहल, लोहिया पार्क गेट नम्बर दो, जनेश्वर मिश्र, लोहिया पार्क गेट नम्बर एक, पंचवटी पार्क, जागर्स पार्क, अम्बेडकर पार्क, स्मृति उपवन, रमाबाई अम्बेडकर मैदान, कालिन्दी वन पार्क, स्वर्ण जयंती स्मृति विहार, पिकनिक स्पाट गेट चांदन, राधा निकुंज पार्क सेक्टर-8 वृन्दावन, ज्योतिबा फूले जोनल पार्क व एलडीए मुख्यालय गोमतीनगर में बनाया जाएगा। चार स्टेशन पहले से बने हैं।